कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला-जबलपुर

धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना

क्रमांक 95/भू-अर्जन.ई.1/प्र.क्र. 03/अ-82/2016-17, जबलपुर दिनांक 13/10/2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम 2 में वर्णित भूमि के कॉलम 3 में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र.2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा 4 के अंतर्गत एतद् घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-:: अनुसूची ::-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला :- जबलपुर

(ख) तहसील :- पाटन

(ग) ग्राम :- बिलखरवा, प.ह.नं. 16, नं.ब. 300

(घ) रा.नि.मं. :- कटंगी

(ड़.) अर्जनाधीन क्षेत्रफल :- 0.39 हेक्टे. (खजुरी वितरण नहर निर्माण हेतु)

स.क्र.	खसरा नंबर	रकवा (हेक्ट.में)
1	2	3
1	62/1	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- खजूरी वितरक नहर निर्माण हेतु।

(3) चूंकि उक्त नहर निर्माण कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र.एक बरगी हिल्स, जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर, बांयी तट नहर संभाग क्र.2 बरगी हिल्स, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सुरभि गुप्ता)
भू-अर्जन अधिकारी
रा.अ.बा.लो. सा.परि.इकाई क्र.1
बरगी हिल्स, जबलपुर

(महेशचन्द्र चौधरी)
कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश
शासन राजस्व विभाग

पृष्ठ. 95/15/ए भू-अर्जन.ई.1/प्र.क्र. 03/अ-82/2016-17, जबलपुर दिनांक 13/10/2017

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो प्रति संलग्न है)
2. संचालक सूचना तथा प्रकाशन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. कार्यपालन यंत्री, संभाग क्र.2/मुख्य अभियंता रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बरगी हिल्स, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ। (तीन प्रतियों में)
4. तहसीलदार तहसील जबलपुर जिला जबलपुर में सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन संबंधित ग्राम में सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कराकर प्रतिवेदन इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना अधिकारी, जबलपुर एन.आई.सी. कक्ष क्र. 84 शासकीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय कलेक्टर/जिला पंचायत जबलपुर में सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील पाटन के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
8. सरपंच ग्राम पंचायत बिलखरवा की ओर सूचनार्थ आगामी ग्राम सभा की बैठक में प्रति सूचनार्थ रखें।

(सुरभि गुप्ता)
भू-अर्जन अधिकारी
रा.अ.बा.लो.सा.परि.इकाई क्र.1
बरगी हिल्स, जबलपुर

(महेशचन्द्र चौधरी)
कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश
शासन राजस्व विभाग